मुक्त हुए सैकड़ों बाल एवं बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास न होने पर आक्रोशित बुन्देलखण्ड निवासी

देश में बंधुआ एवं बाल मज़दूरों के लिए कानून होने के बावजूद भी मुक्त बाल एवं मज़दूरों के पुनर्वास में शासन प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। अप्रैल, 2016 से अगस्त, 2019 के बीच 632 बाल एवं बंधुआ मज़दूरों को बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रयासों से मुक्त कराया जा चुका है। देश के कई राज्यों से मुक्त हुए ये मज़दूर बुन्देलखण्ड के बांदा और चित्राकूट के रहने वाले है। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। जबकि नियमानुसार 6 महीने के अन्दर मुक्त बाल एवं बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास होना आवश्यक है। बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन (प्रथा) अधिनियम, 1976 के अनुसार जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि मुक्त मज़दूरों का पुनर्वास करें। लेकिन यह साफ है कि शासन प्रशासन के एजेण्डे में मज़दूर वर्ग शामिल ही नहीं है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री दलसिंगार ने बुन्देलखण्ड के मुक्त हुए सैकड़ों बाल एवं बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास न होने पर नाराजगी जताते हुए बताया कि बांदा और चित्रकूट के मज़दूरों का पुनर्वास न होना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते है।

बुंदेलखण्ड में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण मज़दूरों का दूसरे राज्यों में पलायन होता रहा है। सरकार यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर का सृजन कर मज़दूरों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए तो बंधुआ मज़दूरी प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है।

लेकिन आज भी बुंदेलखण्ड से मज़दूरों का पलायन लगातार जारी है, जिससे वहां के लोग दूसरे जगहों पर बंधुआ मज़दूरी करने को विवश है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में विगत् 38 वर्षों से समाज के सबसे अंतिम व्यक्तियों के सामाजिक न्याय व अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक देशभर में 1,76,000 से अधिक बंधुआ एवं बाल मज़दूरों की मुक्ति व पुनर्वास की राहत प्रदान करने वाला संगठन आज भी पूरे उत्साह व जोश के साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है।

मुक्त कराए गये सभी मज़दूरों के हालात जानने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, श्री दलसिंगार जी और बंधुआ मुक्ति मोर्चा से जुड़े श्री सप्तगिरी ने दिनांक 16.18 नवम्बर, 2019 को बांदा और चित्राकूट पहुंचकर सभी मज़दूरों से मुलाकात की और इनके पुनर्वास के संदर्भ में स्थानीय जिलाधिकारी एवं उपश्रमायुक्त से विवरण मांगा। अधिकारियों को मोर्चा के अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि पुनर्वास करना बधुंआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। पुनर्वास करने में विलम्ब, उनको पुनः बंधुआ बनने की सम्भावनाओं को बढ़ावा देता है। मुक्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद में अधिकारियों के सम्मुख अब ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि पुनर्वास करने के लिये विलम्ब करें। उन्होंने उनसे मांग की कि मुक्त हुए बंधुआ मज़दूरों को तुरन्त पुनर्वासित कर उसका विवरण दें।

उन्होंने यह भी कहा कि बांदा एवं चित्राकूट में बंधुआ मज़दूरों के सर्वे के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, 2016 के तहत बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा कराया गया है। अतः उक्त संदर्भ में जिलाधिकारी एवं उपश्रमायुक्त ने कहा कि बधुंआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत मज़दूरों के हक में जो भी यथासम्भव सहयोग होगा करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने हमसे पूर्व में मुक्त कराए सभी मज़दूरों का ब्यौरा भी लिया ।

कर्वी तहसील के ग्राम पंचायत अकबरपुर में खनन मज़दूरों के साथ बैठक :

मज़दूरों के हक और अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्थानीय **बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से क्रेशर नगरी, भरतकूप में हमने खनन कार्य करने वाले** स्थानीय **ग्राम पंचायत के अधीन 8 बस्तियों में से 3 बस्तियों में मज़दूर एवं उनके परिवारों के साथ बैठक की।**

1. **नई दुनिया आदिवासियों की बस्ती** – मज़दूरों ने अपनी समस्याओं के बारे में विवरण दिया तथा अध्यक्ष जी को यह भी अवगत कराया कि रोजगार के अभाव में उन्हें कम मज़दूरी पर काम करना पड़ रहा है और स्थानीय प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी उनके हालात् को सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मनरेगा योजना जो साल में 100 दिन की मज़दूरी गारंटी देती है उसके तहत भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रही है।
2. **खजांची आदिवासियों की बस्ती** – मज़दूरों ने सामुहिक रूप से बताया कि आजीविका के लिए खदानों में सुबह 4 से सायं 6 बजे तक पत्थर तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसमें 4–5 महिला एवं पुरूष तथा बच्चे सामुहिक रूप से एक ट्रक लोड करते है, जिसकी कीमत 350 रुपये मिलता है। इस प्रकार मज़दूरी का बंटवारा होने पर 70–80रुपये औसतन प्रतिव्यक्ति पड़ता है। इसके साथ इस बस्ती में पानी, बिजली, शौचालय एवं आवास आदि मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी।
3. **बुद्धनगर बस्ती**– इस बस्ती के लोगों की मूल समस्याएँ थी कि वे पिछले 70–80 सालों से कई पीढ़ियों से यहां पर रहते आ रहे हैं। अब इनको कर्वी तहसील द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द इस बस्ती को खाली किया जाए क्योंकि यह जमीन गऊचर की है। इस नोटिस के चलते बुद्धनगर बस्ती के निवासियों के अन्दर खौफ एवं भय बना हुआ है कि अब वे लोग अपने परिवार के साथ कहां जायें और कहां रहें।

उक्त तीनों बस्तियों के लोगों ने कहा कि पत्थर ख़दानों में उनके साथ कई घटनाएँ घट चुकी है, इसके एवज में परिवारवालों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उनकी पहली मांग है कि कोल आदिवासी भाईयों के नाम पर पत्थर ख़दानों की लीज़ दी जानी चाहिए जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकें। साथ ही उन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्रेशर व पहाड़ों में काम करते हुये उनके बस्तियों के कई लोग टी. बी. एवं सिलोकोसिस रोगों से पीड़ित हो गये हैं। पत्थर खदानों एवं क्रेशर धूल के कारण मज़दूर एवं उनके बच्चें किसी न किसी बिमारी के शिकार हो गये हैं। जिनकी दवाईयों की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोई सुनने वाला है।

उपरोक्त संदर्भ में बंधुआ मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश ईकाई ने प्रदेश अध्यक्ष श्री दलसिंगार उर्फ सोनू जी के नेतृत्व में श्री सप्तगिरी जी एवं स्थानीय बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुद्धनगर बस्ती की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए चित्राकूट जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की कि बुद्धनगर बस्ती के निवासियों को तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक इनका पुनर्वास उसी पंचायत के अन्तर्गत नहीं होता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के इस ज्ञापन का परिणाम यह हुआ कि जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अनुशासकों को निर्देश दिया कि इस विषय पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। जिसके उपरान्त तहसीलदार, लेखपाल तथा ग्राम प्रधान ने बुद्धनगर बस्ती का दौरा किया जिसके बाद तहसीलदार ने अकबरपुर ग्राम पंचायत को निर्देश दिया कि इसी पंचायत में ही निवासियों को आवासीय जमीन अलॉट कर दिया जाए। इस प्रकार निवासियों के मन जो भय और खौफ का माहौल बना हुआ था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के साथ आने से वो भय और खौफ अब ढल रहा है। इसी कड़ी में बंधुआ मुक्ति मोर्चा उपलिखित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है।

इन सभी कार्यों में मीडिया और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का पुरज़ोर समर्थन मिला जिसकी प्रति संलग्न

बांदा उपश्रमायुक्त श्री राजीव सिंह के साथ

बांदा श्रम कार्यालय के बाहर मज़दूरों के साथ

नई दुनियां आदिवासी बस्ती में निवासियों के साथ

खजांची आदिवासी बस्ती में निवासियों के साथ

बुद्धनगर बस्ती में निवासियों के साथ

बुद्धनगर बस्ती में निवासियों के साथ

चित्राकूट जिलाधिकारी के साथ

चित्राकूट जिलाधिकारी के आफिस में

चित्रकूट जिलाधिकारी के कार्यालय में बुद्धनगर बस्ती के निवासियों के साथ

आज
हिन्दी दैनिक
संस्थापक- ज्ञानमण्डल लि.

बांदा सिटी
कानपुर, 17 नवम्बर, 2019

मुक्त बाल एवं बंधुवा मजदूरों के पुर्नवास न होने पर जताई नाराजगी

बंधुवा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार ने उपश्रमायुक्त से की भेंट

(आज समाचार सेवा)

बांदा, 16 नवम्बर। बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्रों के प्रवासी बंधुवा मजदूरों के पर्यवेक्षण के लिए दो दिवसीय दौरे पर बांदा आये बंधुवा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार ने मुक्त कराये गये बाल एवं बंधुआ मजदूरों के अबतक पुर्नवास व आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराये जाने पर नाराजगी जताई और चित्रकूट धाम मंडल के उप श्रमायुक्त से भेंटकर तत्काल कार्यवाही करने पर जोर दिया।

बाल एवं बंधुवा मजदूरों के हितों के लिए कई दशकों से संघर्ष कर रहे प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता व बंधुवा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश के नेतृत्व में बंधुवा मुक्ति मोर्चा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कार्यरत है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार अपने सहयोगी सत्यगिरी (मैसूर कर्नाटक) ने बांदा व चित्रकूट जिले में पिछले चार वर्षों में देश के कोने-कोने से मुक्त कराये गये लगभग ६ सौ बाल एवं बंधुवा मजदूरों को प्रशासन द्वारा अबतक पुर्नवास न कराये जाने और तात्कालीक आर्थिक सहायता न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

उपश्रमायुक्त से वार्ता करते बंधुवा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार व उनके सहयोगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइड लाईंस का हवाला देते हुए कहा कि मुक्त कराये गये बाल एवं बंधुवा मजदूरों का पुर्नवास अधिक से अधिक ६ महीने के अंदर करने की अनिवार्यता है जिसमें मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि, आवास, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्णतया होनी चाहिए। सबके पुर्नवास की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। मुक्त कराये गये बाल एवं बंधुवा मजदूर दलित समुदाय से हैं। कया इनके साथ नाईसाफी का कारण यही है। चित्रकूट धाम मंडल के उप श्रमायुक्त से भेंट कर अतिशीघ्र बंधुवा मजदूरी अधिनियम १९७६ के तहत मुक्त कराये गये बाल एवं बंधुवा मजदूरों के विषय में चर्चा की। इस मौके पर उनके अलावा मंडल अध्यक्ष प्रमोद आजाद व अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

circle बांदा की जॉब्स

16 November 2019 19:11 PM | बांदा

बुंदेलखंड के विगत 4 वर्षों में मुक्त कराए गये मजदूरों का पुनर्वास की मांग

facebook WhatsApp

बंधुआ मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड के विगत 4 वर्षों में मुक्त कराए गए मजदूरों का पुनर्वास बांदा चित्रकूट में नहीं हो पाया है। जिसको लेकर दो दिवसीय विजिट पर आए दल सिंगार व सहयोगी मैसूर से सप्तागिरी बांदा चित्रकूट मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष प्रमोद आजाद सहित पूरी टीम ने उप श्रम आयुक्त बांदा चित्रकूट धाम मंडल बांदा से बैठकर नाराजगी जाहिर की बंधुआ मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण समाज के अंतिम पायदान पर बैठे। व्यक्ति को उनका हक नहीं मिल पा रहा । जिस पर नाराजगी व्यक्त की स्वामी अग्निवेश जो 40 साल से बंधुआ मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। उनके आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उनका हक दिलाने की बात की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रमोद आजाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही टीम ने बांदा से पलायन कर रहे हैं। तमाम मजदूरों से भी बातचीत की और उनका समस्याएं जानी।

अमर उजाला बांदा

amarujala.com कानपुर | रविवार, 17 नवंबर 2019 8

उप श्रमायुक्त से मिलते बंधुवा मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार व मंडल अध्यक्ष प्रमोद आजाद आदि।

बंधुआ मजदूर मामले में प्रशासन कर रहा उल्लंघन

बांदा। बंधुवा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार ने बांदा व चित्रकूट के 600 बाल एवं बंधुआ मजदूरों को रिहा कराने के 6 माह बाद भी प्रशासन द्वारा उनके पुनर्वास व आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराए जाने पर असंतोष जताया है। कहा कि दोनों जनपदों के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइड लाइन का उल्लंघन किया है। पुनर्वास की अधिकतम समय सीमा 6 महीने है। मोर्चा अध्यक्ष अपने दो दिवसीय बांदा व चित्रकूट भ्रमण पर आए हैं। शनिवार को उन्होंने यहां उप श्रमायुक्त चित्रकूटधाम मंडल से मिलकर बंधुवा मजदूरों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर बंधुवा मुक्ति मोर्चा के चित्रकूटधाम मंडल अध्यक्ष प्रमोद आजाद भी उपस्थित थे। संवाद

03 हिन्दुस्तान बांदा 17 नवंबर, 2019

मुक्त बाल व बंधुवा मजदूरों का नहीं हो रहा पुनर्वास

बांदा। बंधुवा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दलसिंगार दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने मुक्त कराए गए बाल एवं बंधुवा मजदूरों का पुनर्वास न होने पर नाराजगी जताई। बताया कि पिछले चार वर्ष में बांदा-चित्रकूट सहित देश के कोने-कोने से करीब छह सौ बाल एवं बंधुवा मजदूरों को मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने अब तक इनका पुनर्वास नहीं कराया न ही इन्हें तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। गाइड लाइंस का हवाल देते हुए बताया कि छह माह के अंदर इनका पुनर्वास कराया जाना आवश्यक है।

बांदा जागरण www.jagran.com

4 दैनिक जागरण कानपुर, 17 नवंबर 2019

जताई नाराजगी

बांदा : बंधुआ मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष दल सिंगार व उनके सहयोगी सप्तगिरि (मैसूर) ने कहा शनिवार को कहा कि बांदा व चित्रकूट में प्रशासन द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास नहीं कराया जा रहा है। तात्कालिक आर्थिक सहायता न दिए जाने पर कही नाराजगी जताई। कहा कि मुक्त कराए गए बाल व बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। उनके साथ नइंसाफी हो रही है। जाग

epaper

हिन्दुस्तान Hindustan - Uttar-Pradesh Banda

चित्रकूट हिन्दुस्तान 02 19 नवंबर, 2019 पृष्ठ संख्या 2

बंधुवा मजदूरों का पुनर्वास न करने पर किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते बंधुवा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी। ● हिन्दुस्तान

चित्रकूट | निज संवाददाता

बंधुवा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रांतों से मुक्त कराए गए जिले के मजदूरों को अभी तक जिला प्रशासन की ओर से पुनर्वास उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दलसिंगार की अगुवाई में डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न प्रदेशों में बंधुवा मजदूरी करने वाले जिले के करीब छह सैकडा मजदूरों को अब तक मुक्त कराया जा चुका है। लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक इन मजदूरों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई है। इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई। कहा कि मुक्त कराए गए बंधुवा मजदूरों को छह माह के भीतर पुनर्वास दिए जाने का प्राविधान है। लेकिन करीब चार वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सत्यगिरि, शिवभवन, संतोष कुमार रहे।

अमर उजाला चित्रकूट amarujala.com कानपुर | मंगलवार, 19 नवंबर 2019

बस्ती से हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन

संवाद न्यूज एजेंसी

चित्रकूट/भरतकूप । भरतकूप कस्बे में क्रसर मशीनों काम करने वाले मजदूरों की बस्ती बसी हुई है। जिसको खाली करने के लिए राजस्व विभाग ने नोटिस भेजा है। जिसका विरोध बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने मजदूरों के साथ कलक्ट्रेट परिसर में किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बस्ती से न हटाए जाने के लिए कहा गया।

भरतकूप कस्बे मे तीन दर्जन क्रसर मशीन लगी है। जिसमें कई स्थानों पर मजदूरों की बस्ती बसी हुई जिसको खाली कराने के लिए राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है।

इस दौरान बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दल सिंगार सिंह, कर्नाटक प्रदेश के सत्य गिरी, शिवभवन, संतोष कुमार, सहित देवी, इन्द्रिरा देवी, बच्ची आदि मजूदर राजपति, माया, मनिया मौजूद रही।

बस्ती से हटाए जाने को लेकर विरोध करने कलक्ट्रेट परिसर पहुंचीं भरतकूप की महिला मजदूर।

समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

चित्रकूट। बुंदेली आवाज किसान विकास समिति के अध्यक्ष विशाल की अगुवाई में ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकाला। चेताया कि समस्याओं का निदान न हुआ तो धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। सोमवार को अध्यक्ष विशाल की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने एलआईसी तिराहे से पटेल चौक तक पैदल मार्च किया। कहा कि किसानों की फसलें अन्ना जानवरों से बर्बाद हो रही हैं। कोटेदार लगातार धांधली पर आमादा हैं। शौचालयों की दूसरी किश्त नहीं भेजी गई। पहाड़ी व तिरहार क्षेत्र में समस्या विकराल है। सड़कें जर्जर हैं। कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष ने चेताया कि जल्द समस्याओं का निदान न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होंगे। इस मौके पर भोला वर्मा, मुन्ना सिंह, राजमोहन वर्मा, दुर्गा प्रसाद, चुनबाद प्रसाद, बच्चा, मूलचंद्र, आनंद, सुरेश यादव, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

चित्रकूट जागरण

4 दैनिक जागरण कानपुर, 19 नवंबर 2019

बंधुआ मजदूरी के खिलाफ प्रदर्शन

चित्रकूट : बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष दलसिंगार ने कहा कि बुंदेलखंड में बंधुआ मजदूर प्रथा काफी पुरानी है। जिसके लिए उनका संगठन लड़ाई लड रहा है। जासं

https://circle.page/post/1835712?utm_source=an&p...

http://ajhindidaily.com/EPaper/Kanpur/17-Nov-2019/banda.pdf

https://epaper.amarujala.com/banda/20191117/12.html?format=img&ed_code=banda

http://epaper.livehindustan.com/imageview_385253_116830660_4_41_17-11-2019_3_i_1_sf.html

https://epaper.jagran.com/epaper/17-nov-2019-69-banda-edition-banda-page-6.html

http://mepaper.livehindustan.com/imageview_389549_120147654_4_41_19-11-2019_2_i_1_sf.html

https://epaper.amarujala.com/banda/20191119/06.html?format=img&ed_code=banda

https://epaper.jagran.com/epaper/19-nov-2019-69-banda-edition-banda-page-4.html#

Abhai TV Chitrakoot- https://www.youtube.com/watch?v=O2rBq621qCQ&feature=youtu.be

Political Davpench –
https://politicaldavpench.com/2019/11/19/%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5/

3 - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2822158584483348&id=100000677018751

4- https://publicapp.co.in/video/sp_2wpdus02yjot7

(दलसिंगार)
प्रदेश अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा (उ०प्र०)
मो. 987138223, ईमेल– dalsingar@bondedlabour.org